

कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//आदेश//

क्रमांक: 823/दो-22-1/2016

भोपाल, दिनांक 10/05/2024

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-13/2023/1/4 भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए भोपाल स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिए घोषित स्थानीय अवकाश (लोकल हॉलिडे) की सूची में से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक बी/9418/I-7/2023 (part-1) जबलपुर दिनांक 14.12.2023 के द्वारा राज्य की न्यायिक जिला स्थापनाओं के लिए वर्ष 2024 के लिए शासकीय अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाशों में "दशहरा(महाअष्टमी)/दशहरा(महानवमी) शुक्रवार दिनांक 11.10.2024 तथा "दीपावली का दूसरा दिन" शुक्रवार दिनांक 01 नवंबर 2024 अवकाश घोषित होने के कारण रजिस्ट्री की उक्त अधिसूचना की कंडिका-5 अनुसार शेष केवल दो स्थानीय अवकाश, न्यायिक जिला स्थापना,भोपाल के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं :-

01	अनंत चतुर्दशी	मंगलवार	17 सितम्बर 2024
02	भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस (केवल भोपाल शहर के लिए लागू रहेगी,सिविल न्यायालय बैरसिया के लिए लागू नहीं होगी।)	मंगलवार	03 दिसम्बर 2024

(अमिताभ मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

भोपाल(म.प्र.)

3344
पृष्ठांकन क्र /दो-22-1/2016

भोपाल, दिनांक 10/05/2024

प्रतिलिपि :- (1) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल म.प्र.

(3) समस्त विशेष न्यायाधीश, भोपाल

(4) समस्त जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल / बैरसिया जिला भोपाल.

(5) समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड भोपाल / बैरसिया जिला भोपाल

(6) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

(7) जिला लोक अभियोजक / शासकीय अधिवक्ता कार्यालय भोपाल / ए.जी.पी. बैरसिया.

(8) जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल / सहा. अभियोजन अधिकारी बैरसिया जिला भोपाल

(9) अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल / बैरसिया जिला भोपाल.

(10) स्टेट बार काउंसिल, जबलपुर के को-चेयरमेन, भोपाल.

(11) वरिष्ठ अधिवक्तागण की ओर सूचनार्थ।

(12) प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल.

(13) समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारीगण, भोपाल / बैरसिया जिला भोपाल

(14) प्रशासनिक अधिकारी / उप-प्रशासनिक अधिकारीगण, भोपाल

(15) जे.एस.ए. भोपाल की ओर आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल से भेजने एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए प्रेषित है।

(अमिताभ मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

भोपाल(म.प्र.)